

**अनुदान संख्या 75 - राज्य सभा**  
**GRANT No. 75-RAJYA SABHA**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	34,00		
पूरक	Supplementary	18,00	52,00	44,55
				-7,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			6,00
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	102,00,00		
पूरक	Supplementary	93,00	102,93,00	85,34,03
				-17,58,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			16,33,21

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के प्रभारित अंश में, कुल बचतें (7.45 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 18.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 41 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 14 प्रतिशत थीं।

1. In the *charged* portion of the grant, the overall savings (Rs.7.45 lakhs) constituted 41 percent of the supplementary *appropriation* of Rs.18.00 lakhs obtained in March, 2007 and 14 percent of the total sanctioned *appropriation*.

2. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1758.97 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 93.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the grant, the overall savings (Rs.1758.97 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.93.00 lakhs obtained in March, 2007 and constituted 17 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '2011'	Major Head "2011"				
संसद/राज्य/संघ राज्य	Parliament/State/Union				
क्षेत्रा विधानमंडल	Territory Legislatures				
मू.	O.	10200.00			
पू.	S.	93.00	8659.79	8534.03	-125.76
पु.	R.	-1633.21			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) "संसद" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under "Parliament" remained wholly unutilised under the following heads:-

(का) "राज्य सभा - सदस्य"- 6666.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 63.65 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6729.65 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, सदस्यों के भत्तों में विलंब से बढ़ोतरी होने और रेल मंत्रालय से नामे दावे कम प्राप्त होने के कारण 1526.12 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Rajya Sabha - Members" - the original provision of Rs.6666.00 lakhs was augmented to Rs.6729.65 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.63.65 lakhs. However, there was a saving of Rs.1526.12 lakhs (including supplementary grant) - due to late enhancement of allowances of members and receipt of less debit claims from Ministry of Railways.

(खा) "राज्य सभा सचिवालय - सचिवालय" - 3302.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 18.40 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3321.10 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे कम प्राप्त होने, विभिन्न स्थायी समितियों के कम दौरे किए जाने और कार्यालय उपस्कर/लेखन सामग्री मदों को कम क्रय किए जाने के कारण भी 169.09 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Rajya Sabha Secretariat - Secretariat" - the original provision of Rs.3302.70 lakhs was augmented to Rs.3321.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.18.40 lakhs. However, there was a saving of Rs.169.09 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less LTC and medical reimbursement claims, less visits of various Standing Committees and also due to less purchase of office equipment/stationery items.